प्रेस रिलीज़: ईएसआईसी स्प्री 2025 योजना के वषय में श्रम अधीक्षकों एवं श्रम प्रवर्तन पदा धकारियों के साथ बैठक का आयोजन

पटना, बिहार - 20 अगस्त 2025

श्रम संसाधन वभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में नियोजन भवन पटना में श्रम आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक ईएसआईसी बिहार के द्वारा स्प्री योजना-2025 के वषय पर सभी श्रम अधीक्षकों एवं श्रम प्रवर्तन पदा धकारियों के साथ व डओ कॉन्फ्रें संग के माध्यम से बैठक का आयोजन कया गया।

क्षेत्रीय निदेशक सीए. निरंजन कुमार ने सभी उपस्थित श्रम अधीक्षकों एवं श्रम प्रवर्तन पदा धकारियों को ईएसआईसी द्वारा हाल ही में लांच SPREE 2025 (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) योजना के वषय में वस्तार से बताते हुए अवगत कराया की वैसे नियोक्ता या संस्थान जिन्होंने चूकवश या अनजाने में अपने संस्थान को अबतक ईएसआई अ धनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करा पायें हैं उन्हें 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक बिना पछले अव ध के बकाया की मांग के पंजीकृत करने के लए अवसर प्रदान करती है।

- इस योजना के तहत कर्मचारी द्वारा घो षत पंजीकरण ति थ से पहले की अव ध के लए कोई रिकॉर्ड जांच या बकाया की मांग नहीं की जायेगी
- पछली अव ध के लए कोई अंशदान भुगतान का दायित्व नहीं होगा।
- उक्त अव ध में स्वयं पंजीकरण कराने वाले संस्थानों पर पछली अंशदान, ब्याज या हर्जाने की कोई देनदारी नहीं होगी।
- पछले गैर-पंजीकरण के लए कोई कार्रवाई नहीं होगी।

बिहार सरकार के सभी श्रम प्रवर्तन अ धकारियों को संबं धत क्षेत्र के उद्य मयों तथा व्यवसायियों को इस योजना की जानकारी देने हेतु प्रेरित कया गया। इसमें 10 या 10 से अ धक कर्मचारी रखने वाले नियोक्ताओं को श्रम सु वधा पोर्टल, ईएसआई पोर्टल अथवा MCA पोर्टल के माध्यम से उक्त अव ध में स्वयं पंजीकरण हेतु प्रेरित करें। ता क भ वष्य में सर्वेक्षण, निरीक्षण या शकायत की स्थिति में पछली देनदारी एवं कार्रवाई की चंता से मुक्त होकर अपने संस्थान व श्र मकों को सामाजिक सुरक्षा

उपलब्ध करा सकें। कसी भी प्रकार की जागरूकता सत्र अथवा प्र शक्षण की आवश्यकता हो तो नियोक्ता को नजदीकी शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करने क सलाह दें । ईएसआईसी नियोक्ताओं के त्वरित एवं सहज सहयोग हेतु संकल्पित है।

आगे उन्होंने सभी श्रम प्रवर्तन अ धकारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति की वस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया क कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सां व धक निकाय है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम, 1948 के तहत संचा लत होता है। अ धनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे संस्थान/कारखाना, जहाँ पछले 12 माह में कसी भी दिन 10 या उससे अ धक कर्मचारी कार्यरत रहे हों, उन संस्थानों के लए 15 दिनों के भीतर ईएसआईसी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ₹21,000/- (दिव्यांग क र्मयों के लए ₹25,000/-) तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कामगारों को च कत्सा एवं नकद हितलाभ उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें बीमारी, मातृत्व, अपंगता, आ श्रतजन लाभ, अंत्येष्टि व्यय, पुनर्वास भत्ता, वृद्धावस्था में 120 रू वा र्षक दर पर मुफ़्त स्वास्थ्य सु वधा एवं बी मतों के बच्चों को च कत्सा शक्षा में शैक्ष णक आरक्षण जैसी सु वधाएँ शा मल हैं।

निगम, नियोक्ता एवं कर्मचारियों से क्रमशः 3.25% एवं 0.75% अंशदान प्राप्त करता है। यदि कोई संस्थान अ धनियम का अनुपालन नहीं करता, तो अंशदान, 12% ब्याज एवं 25% हर्जाने की वसूली की कार्यवाही की जाती है, जो धारा 45C-I एवं आयकर कानून, 1961 के तहत की जाती है। अ धनियम का अनुपालन करने वाले नियोक्ताओं को कामगार क्षतिपूर्ति अ धनियम, 1923 एवं मातृत्व हितलाभ अ धनियम, 1961 के अनुपालन से छूट मलती है। साथ ही, दिव्यांग कर्मचारियों के लए तीन वर्षों तक नियोक्ता के अंशदान का वहन केंद्र सरकार द्वारा कया जाता है।

बैठक में यह भी चर्चा की गई क ईएसआईसी द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी । इसके तहत नियोक्ताओं के खलाफ दर्ज मुकदमों और न्यायालयों में लंबित मामलों को वापस लेने और त्वरित समाधान का अवसर प्रदान कया जाएगा, वशेष रूप से उन मामलों में जहां बकाया रा श का भुगतान हो चुका हो।

इस बैठक में 'श्री राजेश भारती IAS', श्रम आयुक्त, 'सीए. निरंजन कुमार, क रा बी निगम, क्षेत्रीय निदेशक बिहार, 'श्री गणेश कुमार झा' सहायक श्रम आयुक्त एवं बिहार सरकार के सभी श्रम प्रवर्तन पदा धकारी सहित बिहार ईएसआईसी अन्य अ धकारी भी शा मल रहे ।

ESI Act, 1948 के तहत बीमित व्यक्तियों एवं लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली कुछ प्रमुख हितलाभों का विवरण	
हितलाभ का नाम	**संक्षिप्त विवरण**
चिकित्सा हितलाभ	रोजगार के पहले दिन से बीमित कर्मचारी और उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा। सेवानिवृत या स्थाई अपंगता वाले कर्मचारियों के लिए वार्षिक ₹120 की राशि पर चिकित्सा सुविधा।
बीमारी हितलाभ	बीमारी के दौरान अधिकतम 91 दिन तक मासिक मजदूरी का 70% नकद वेतन। कुछ गंभीर बीमारियों में 2 वर्ष तक 80% वेतन।
मातृत्व हितलाभ	महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 26 सप्ताह तक दैनिक वेतन का 100% भुगतान।
आश्रितजन हितलाभ	रोजगार चोट के कारण कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार के आश्रितों को औसत दैनिक मजदूरी का 90% मासिक आजीवन पेंशन।
अपंगता हितलाभ	रोजगार के दौरान चोट या व्यावसायिक रोग से अस्थायी अपंगता पर 90% दैनिक मजदूरी भुगतान। स्थायी अपंगता पर जीवनभर पेंशन।
बेरोजगारी भत्ता	RGSKY- रोजगार में छंटनी होने या कंपनी बंद होने की स्थिति में 24 महीने तक नकद भत्ता। ABVKY- रोजगार छूटने की स्थिति में 3 माह तक वेतन।
अंत्येष्टि व्यय	मृत्यु के समय अंतिम संस्कार के लिए ₹15,000 राशि भुगतान।

चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण	बीमितों के बच्चों को ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज में 45 % सीट पर आरक्षण।